बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र03–विविध(प्रशिक्षण)–01/2020 3964 खाद्य/पटना, दिनांक– 05/09/2022

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम,
खाद्य भवन, पटना।
जिला पदाधिकारी,
गया, अररिया, सीवान एवं नवादा।

विषयः– बिहार आपूर्ति सेवा के आपूर्ति निरीक्षकों को प्रशिक्षण देने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–3953 दिनांक 05.09.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार आपूर्ति सेवा के आपूर्ति निरीक्षकों के नवम् बैच का सांस्थिक प्रशिक्षण (Induction Training) बिपार्ड द्वारा दिनांक 12.09.2022 से 26.09.2022 तक राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान(RSTI), बोधगया में आयोजित किये जाने एवं उक्त प्रशिक्षण से संबंधित कोर्स मॉड्यूल में विभागीय विषयों के जानकार संसाधन व्यक्तियों के संबंध में सूचित किया गया है ।

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में उक्त सांस्थिक प्रशिक्षण बिपार्ड, गया कैम्पस (कुशडेहरा, रॉक एरिया, गया) में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि बिपार्ड द्वारा समन्वय स्थापित किये जाने की स्थिति में उक्त निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधितों को राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान(RSTI), बोधगया के स्थान पर बिपार्ड, गया कैम्पस (कुशडेहरा, रॉक एरिया, गया) में प्रशिक्षण/व्याख्यान देने हेतु निदेशित/विरमित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांकः– प्र03 विविध (प्रशिक्षण)–01/2020 3964 खाद्य, पटना/दिनांक– 05/09/2022

प्रतिलिपिः– निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना एवं अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि श्री आलोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीवान को उक्त निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Sec3, 2021/Avinash/ Training 2022

ज्ञापांकः– प्र03 विविध (प्रशिक्षण)–01 / 2020 3964 खाद्य, पटना / दिनांक 05/09/2022
प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पत्रांक–प्र03–विविध(प्रशिक्षण)–01 / 2020 3964 खाद्य / पटना, दिनांक– 05/09/2022
प्रतिलिपि– सभी विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना / संबंधित सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / संबंधित सभी अनुमंडल पदाधिकारी / संबंधित सभी पदाधिकारी एवं कर्मी तथा आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।